छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्षः 2023-24

नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

मान. श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

मान. श्री दयाल दास बघेल
मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

मान. श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा
अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा,
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
छत्तीसगढ़

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2023-24

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
छत्तीसगढ़

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2023-24

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य	1
2	राज्य खाद्य आयोग की संरचना एवं गठन	
3	आयोग में कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी, पदभार ग्रहण आयोग का कार्यालय, कार्यकाल एवं कार्य दिवस	2–4
4	राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं प्रमुख अधिनियम/नियम	4–5
5	खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित प्रमुख योजना	5–17
6	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट एवं शिकायत निवारण	18–20
7	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का बजट	21

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य

जनसामान्य को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन एवं प्रावधानित सभी पात्रताओं का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने की निगरानी एवं समीक्षा तथा राज्य में पीडीएस की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का गठन मार्च 2017 में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष सहित 5 अन्य सदस्य के पद स्वीकृत है। आयोग का मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में है।

राज्य खाद्य आयोग का संरचना एवं गठन

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा 32 पद स्वीकृत किए गए है।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के लिए स्वीकृत सेट–अप का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अध्यक्ष	1
2	सदस्य	5
3	सदस्य सचिव	1
4	तृतीय श्रेणी पद	12
5	चतुर्थ श्रेणी पद	13
योग		**32**

आयोग में कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र.	नाम	पदनाम	पता
1	श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा	अध्यक्ष	बाबरा मोटर्स, नमनाकला रिंग रोड, अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) पिन – 497001
2	श्री हरीश परसाई	सदस्य	A–96 नेहरू नगर बुधवारी बाजार के पास कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)
3	श्री राजेन्द्र महिलांग	सदस्य	गणेश चौक कृष्णा नगर वार्ड क्रमांक 08 सतनाम भवन के पास सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.)
4	श्री विमल सुराना	सदस्य	वार्ड क्रमांक 04 महावीर नगर, ओसवाल भवन के सामने मुख्य पोस्ट गीदम, जिला– दंतेवाड़ा (छ.ग.)
5	श्री कुलदीप शर्मा	सदस्य	ग्रीन अर्थ सिटी जेस्मीन ब्लाक–01 405, अमलेश्वर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
6	श्रीमती ज्योति कश्यप	सदस्य	ग्राम–खैरताल पोस्ट–कटौद तहसील नवागढ़ जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)
7	श्री राजीव कुमार जायसवाल	सदस्य सचिव	B–602, सोलस हाइट्स, अमलीडीह रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक एफ 1–22/2016/29–2 द्वारा माननीय श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2020, को पदभार ग्रहण किया गया।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर, 2022 के अनुपालन मे राज्य खाद्य आयोग में 05 सदस्यों की नियुक्ति किया गया है, दिनांक 08.12.2022 को कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में माननीय अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा के समक्ष 5 नवनियुक्त सदस्य श्री हरीश परसाई, श्री राजेन्द्र महिलांग, श्री विमल सुराना, श्री कुलदीप शर्मा, श्रीमती ज्योति कश्यप, को पदभार ग्रहण कराया गया। जिसमें से 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के कारण श्री विमल सुराना, माननीय सदस्य का एक पद दिनांक 13.04.2023 से रिक्त है।

आयोग का कार्यकाल एवं कार्य दिवस

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का कार्यालय अटल नगर नवा रायपुर, सेक्टर 17 स्थित डी 02–9/10 में संचालित है। आयोग का कार्य दिवस, राज्य सरकार के कार्य दिवस अनुसार है।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करना है। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त राज्य खाद्य आयोग के निम्नलिखित कार्य है :–

1. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अनुसूची–एक में उल्लेखित पात्रता के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करना।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।

4. हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विनिर्दिष्ट पात्रताओं तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित अभिकरणों, स्वायत निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना।
5. जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्व अपीलों की सुनवाई करना।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रताओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश की जानकारी निम्नानुसार है :-

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013**

  इस अधिनियम के भाग 2 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों की पात्रता तथा राज्य खाद्य आयोग के गठन एवं शिकायतों के निवारण तंत्र संबंधी आवश्यक प्रावधान किया गया है।

- **छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012**

  इस अधिनियम के भाग 2 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना तथा छात्रावास/आश्रम के हितग्रहियों की पात्रताओं तथा शिकायतों के निवारण तंत्र संबंधी आवश्यक प्रावधान किया है।

- **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम 2016**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पात्रताओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की निगरानी तथा समयबद्ध निराकरण हेतु शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी के प्रावधान के साथ–साथ राज्य खाद्य आयोग के गठन का भी प्रावधान है।

- **छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 40 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा और पोषण अधिनियम 2012 की धारा 30 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्ड हेतु हितग्राहियों के पात्रता के मापदंड तथा राशन कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

- **खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2016**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 एवं 39 के अंतर्गत अधिनियम के भाग 2 में उल्लेखित

पात्रताओं के उल्लंघन की स्थिति में हितग्राहियों को दिए जाने वाले खाद्य सुरक्षा भत्ता तथा इसकी प्रक्रिया का प्रावधान इस नियम के अंतर्गत किया गया है।

- **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) नियम 2017**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलापों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा निगरानी व्यवस्था एवं सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए है।

- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015**

  सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन हेतु राशनकार्ड के निर्माण, उचित मूल्य दुकान के आबंटन, नियमित रूप से राशन सामग्री के प्रदाय, वितरण एवं इसकी निगरानी की व्यवस्था संबंधी प्रावधान इस आदेश के अंतर्गत किए गए है।

- **छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016**

  भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधान के अनुरूप राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान आबंटन की प्रक्रिया, राशन सामग्री के आबंटन उठाव एवं वितरण की प्रक्रिया, उचित मूल्य दुकानों की जाँच, निगरानी समितियों के गठन, अभिलेखों के सामाजिक अंकेक्षण आदि प्रावधान किए गए है।

- **मध्यान्ह भोजन नियम, 2015**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 39 के अंतर्गत जारी मध्यान्ह भोजन योजना नियम 2015 के अंतर्गत प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में प्रदाय किए जाने वाले मध्यान्ह भोजन के पात्रता के मापदंड, भोजन की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था आदि के प्रावधान किए गए हैं।

- **पूरक पोषण (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियम, 2017**

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत जारी इस नियम के अंतर्गत 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिए पूरक पोषण आहार की पात्रता, इसके मानक, पूरक पोषण आहार तैयार करने की प्रक्रिया तथा इसकी निगरानी व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सिद्धान्त, भारत सरकार, 2017**

  इस मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्षित हितग्राही की जानकारी, योजना के अंतर्गत प्रदाय किए जाने वाले लाभ, आवेदन की प्रक्रिया तथा क्लेम के भुगतान की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के भाग 2 में उल्लेखित योजनाओं के हितग्राहियों की पात्रताओं के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी एवं मूल्यांकन करना आयोग का मुख्य कार्य है। आयोग के गठन के उद्देश्य तथा इसके क्रियाकलाप की जानकारी के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्राप्त शिकायत के समय पर निराकरण एवं इन योजनाओं की सतत् निगरानी हेतु वेबसाइट का निर्माण किया गया है। आयोग की वेबसाइट दिनांक 18 नवंबर, 2020 से निरंतर संचालित है। आयोग की वेबसाइट के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैः–

1. **आयोग की सामान्य जानकारी-** इसके अंतर्गत आयोग के गठन, माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य गणों की जानकारी तथा आयोग की शक्तियों एवं कार्य संबंधी जानकारी से आम लोगों को अवगत कराना।

2. **ऑनलाइन आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली-** सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, छात्रावास/आश्रम को प्रदाय बीपीएल दर पर खाद्यान्न सहायता योजना के क्रियान्वयन की निगरानी तथा शिकायत निवारण हेतु निम्नलिखित प्रावधान शामिल है :–

- ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु सुविधा
- सुझाव दर्ज कराने हेतु प्रावधान
- शिकायत की स्थिति जानने हेतु व्यवस्था
- नोडल अधिकारी द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी (**DGRO**) को शिकायत हस्तांतरित करना
- आयोग द्वारा संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु शिकायत हस्तांतरित करना
- संबंधित विभाग द्वारा शिकायत निवारण दर्ज करने हेतु पृथक लागिन की व्यवस्था करना
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय के विरूद्व शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में ऑनलाइन अपील दर्ज करने की सुविधा

3. **शिकायत निवारण प्रणाली का प्रचार प्रसार-** आयोग की निगरानी के अधीन योजनाओं के तहत् हितग्राहियों को पात्रतानुसार नियमित रूप से निर्धारित गुणवत्ता की राशन सामग्री प्राप्त न होने की दशा में राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट https://khadya.cg.nic.in/rationcards/cgsfc/index-2.aspx, खाद्य विभाग के कॉल सेन्टर नंबर 1967, 1800–233–3663 अथवा खाद्य आयोग के टेलीफोन नंबर 0771–2972924 में सीधे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसका प्रचार–प्रसार इस वेबसाइट के जरिये किया जा रहा है।

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली- छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो चावल, प्राथमिकता परिवारों को 1 सदस्य वाले कार्ड पर 10 किलो, 2 सदस्य वाले कार्ड पर 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह तथा सामान्य राशनकार्डों पर 1 सदस्य वाले कार्ड पर 10 किलो, 2 सदस्य वाले कार्ड पर 20 किलो, 3 या 3 से अधिक सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो चावल की पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।

मार्च 2024 की स्थिति में प्रदेश में अन्त्योदय श्रेणी के 14.97 लाख, प्राथमिकता श्रेणी के 53.08 लाख तथा सामान्य श्रेणी के 8.73 लाख राशनकार्ड प्रचलित है।

राशन सामग्री की पात्रता एवं उपभोक्ता दर

क्र.	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1	अन्त्योदय परिवार	चावल	35 किग्रा प्रतिमाह	₹ 1 प्रति किग्रा
		चना	2 किग्रा प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	₹ 5.00 प्रति किग्रा
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
			गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	
2	प्राथमिकता परिवार	खाद्यान्न	1 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रतिमाह, 2 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किलो प्रतिमाह 03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किलो प्रतिमाह 05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में 07 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह	₹ 1 प्रति किग्रा
		चना	2 कि.ग्रा. प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	₹ 5.00 प्रति किग्रा
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 कि.ग्रा. प्रति परिवार	निःशुल्क
			गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 कि.ग्रा. प्रति परिवार	
3.	सामान्य परिवार	खाद्यान्न	1 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रतिमाह, 2 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किलो प्रतिमाह, 03 या अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किलो प्रतिमाह	₹ 10.00 प्रति किग्रा

टीप-

- राज्य शासन के निर्णय अनुसार अप्रैल, 2023 से मार्च 2024 तक समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता कार्डधारी परिवारों हेतु चावल की उपभोक्ता दर निःशुल्क रही।
- चने की पात्रता, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी परिवारों को है।
- अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति कार्ड 1 किलो शक्कर की पात्रता है।
- अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशनकार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है।
- बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो गुड़ की पात्रता है।

विभिन्न हितग्राही समूहों की पात्रताएं - छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न हितग्राही समूहों हेतु निम्नलिखित प्रावधान है –

1. गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार ।
2. छः माह से छः वर्ष के आयु समूह के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार ।
3. 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शाला दिवस में निःशुल्क मध्यान्ह भोजन ।
4. आश्रम / छात्रावासों में निवासरत छात्र / छात्राओं हेतु रियायती दर पर खाद्यान्न ।
5. कुपोषित बच्चों की पहचान व उन्हें निःशुल्क उचित पोषक आहार ।
6. आपातकालीन अथवा प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियों में प्रभावित व्यक्तियों हेतु छः माह तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था ।

(2) चावल का आबंटन एवं वितरण- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023–24 में राज्य के लिए 1,15,338 टन प्रतिमाह चावल का आबंटन जारी किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त मासिक आबंटन में से 25,162 टन चावल अन्त्योदय परिवारों तथा शेष 90,176 टन चावल प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए जारी किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त आबंटित चावल को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है।

राज्य के सभी नागरिको को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। उपरोक्त दोनो अधिनियम के अंतर्गत मार्च 2024 की स्थिति में 77.31 लाख राशनकार्ड जारी किये गये है। राज्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रतिमाह केन्द्र शासन से 1,15,330 मेट्रिक टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अतिरिक्त राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक खाद्यान्न के आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

विवरण	चावल	
	आबंटन	उठाव
केन्द्रीय पूल	13,83,994	13,40,457
राज्य पूल	15,73,794	14,14,295
योग	29,57,788	27,54,752

(3) रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना- इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्ड वितरित किये जाने का प्रावधान है। रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक वितरण में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका भुगतान वितरण एजेंसी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया जाता है।

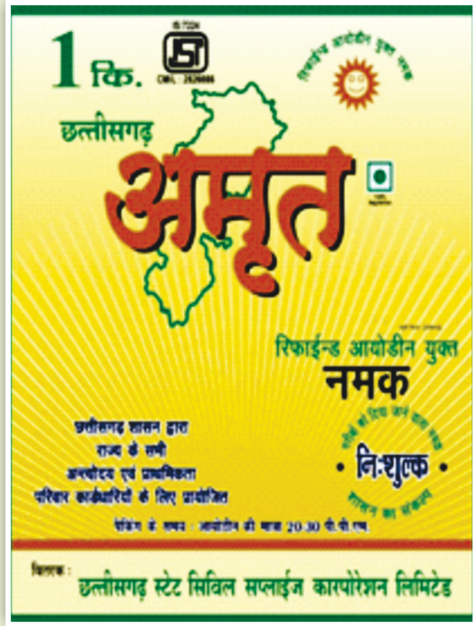

विगत वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक अमृत नमक के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
1,11,318	1,02,783

(4) चना वितरण योजना- जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों तथा 1 फरवरी 2019 से माडा क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है।

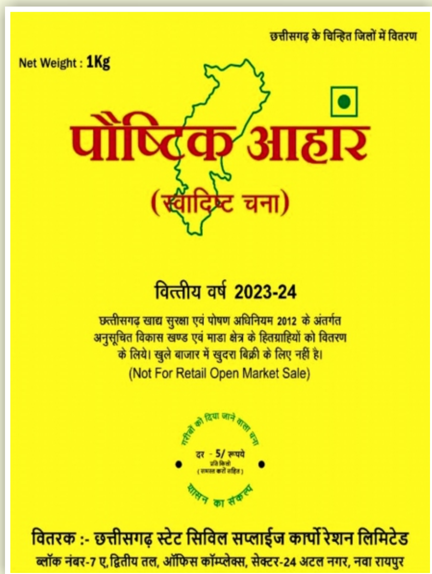

विगतवित्तीय वर्ष में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक चना के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
69,036	64,177

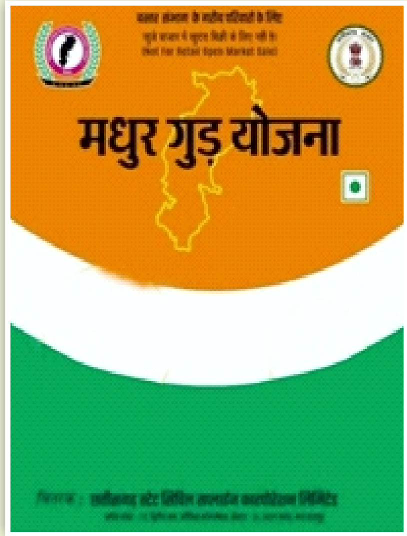

(4) मधुर गुड़ वितरण योजना- बस्तर संभाग के जिलों में आयरन की कमी दूर करने के लिए अंत्योदय, प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारियों को जनवरी 2020 से प्रतिमाह 2 किलो गुड़ 17 रूपए प्रति किलो की उपभोक्ता दर पर प्रदाय किया जा रहा है ।

विगत वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक गुड़ के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
17,352	13,054

(5) फोर्टिफाईड राईस वितरण योजना- यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश राशि का अनुपात 75:25 है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन– बी 12) फोर्टिफाईड चावल के वितरण का शुभारंभ कोण्डागांव जिले में 01 नवंबर 2020 से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदेश के समस्त जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंन्तयोदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों के अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के अंतर्गत भी फोर्टिफाईड चावल का प्रदाय किया जा रहा है।

विगत वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक फोर्टिफाईड चावल के उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	उठाव
26,47,053	25,50,025

कॉल सेन्टर- राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से संचालित किए जा रहे कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमांक 1800–233–3663 एवं 1967 है और यह एक टोल फ्री (निःशुल्क) फोन लाईन है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कॉलसेंटर में अनेक उपभोक्ताओं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त किए जाने के साथ–साथ विगत वित्तीय वर्ष में कुल 6,037 शिकायते दर्ज कराई गई है। प्राप्त शिकायतों में से 5,612 शिकायते निराकृत की जा चुकी है ।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना
(मध्यान्ह भोजन योजना) सत्र 2023-24

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अन्तर्गत राज्य के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं, मदरसा, संस्कृत विद्यामण्डलम् से सम्बद्ध शाला एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित (CWSN) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शालाओं में कक्षा 1लीं से 8वीं तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को प्रत्येक शालेय दिवस में गरम पका पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। इससे विद्यालयों में शाला त्याग दर में कमी आई है, एवं छात्रों में कुपोषण दूर हुआ है। इस प्रकार वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत कुल शाला संख्या 45860 तथा लाभान्वितों की संख्या 29.10 लाख है।

योजना के तहत सत्र 2023-24 में प्राप्त उपलब्धियां-

1. ''न्योता भोजन''-

राज्य में 16 फरवरी 2024 से राज्य में न्योता भोजन लागू किया गया है। यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में भोजन हेतु आमंत्रित करने को न्योता कहा जाता है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में तिथि भोजन को "न्योता भोजन" के नाम से लागू किया गया है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों/त्यौहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते है।

यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन या तो पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं या अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में मिठाई, नमकीन, फल या अंकुरित अनाज आदि के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। न्योता भोजन शाला में दिये जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं है, बल्कि यह केवल शाला में प्रदान किये जाने वाले भोजन का पूरक है। राज्य में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में तीन माह में कुल 21240 शालाओं में न्योता भोजन का आयोजन किया गया है, जिससे कुल 1365881 छात्र/छात्रायें लाभान्वित हुये ।

फ्लेक्सी मद/नवाचार- अंतर्गत राज्य के 09 जिले क्रमशः गरियाबंद, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, रायगढ़, सारंगढ–बिलाईगढ़, जशपुर एवं बलौदाबाजार में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना संचालित 13899 शालाओं में अध्ययनरत् 777031 छात्र–छात्राओं को पूरक पोषण के रूप में मिलेट्स बार प्रदाय किया जा रहा है। प्राथमिक शाला के बच्चों को प्रति दिवस 20 ग्राम तथा अपर प्राथमिक शाला के बच्चों को 30 ग्राम मिलेट्स बार सप्ताह में सभी शालेय दिवस में प्रदाय किया जाता है।

2. मुख्यमंत्री अमृत योजना-

पायलेट प्रोजेक्ट के तहत् मुख्यमंत्री अमृत योजना 2016 से राज्य के दो जिले कबीरधाम एवं बस्तर में संचालित है। इसके अंतर्गत प्रति छात्र प्राथमिक शाला में 100 मि.ली. एवं अपर प्राथमिक शाला में 150 मि.ली. सुगंधित सोया दूध प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार लगभग 3741 शालाओं के 2,21,816 छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

प्राप्त शिकायत एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी-

वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) राज्य कार्यालय के mdm.cg.nic.in सॉफ्टवेयर में टोल फ्री के माध्यम से प्राप्त मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित कुल–23 शिकायते प्राप्त हुई है। जिनमें से अब तक 19 शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है तथा 04 शिकायत निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत शामिल योजना

1. सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 (पूर्व में आई.सी.डी.एस.) अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था

प्रदेश में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 (पूर्व में आई.सी.डी.एस.) अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जानी वाली छः सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है। भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में दिए गए वित्तीय एवं पोषण मापदण्डों के अनुसार पूरक पोषण आहार का वितरण निम्नानुसार किया जा रहा है :–

टेकहोम राशन :- टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूँ आधारित रेडी–टू–ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें रागी व मूंगफली का समावेश भी किया गया है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) प्रदाय किया जा रहा है। गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 150 ग्राम के मान से (सप्ताह में 06 दिवस हेतु) रेडी टू ईट दिया जा रहा है। रेडी–टू–ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य माह अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग 24.52 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है, जिनमें 6 माह से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चे तथा गर्भवती एवं शिशुवती मातायें शामिल हैं। वर्ष 2023–24 में इस हेतु 700 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन :-

आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य, मध्यम एवं गम्भीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू अनुसार नाश्ता दिया जा रहा है। गर्म पके हुए भोजन मे रोटी, चावल, मिक्स दाल व सब्जी तथा नाश्ते में सप्ताह में 03 दिवस रेडी–टू–ईट फूड का हलवा एवं 03 दिवस पोहा प्रदाय किया जा रहा है। 03 से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्म भोजन के अतिरिक्त रेडी टू ईट 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिवस हेतु 390 ग्राम का पैकेट दिया जाता है।

नाश्ता एवं चावल आधारित गर्म पके हुए भोजन का सूखा राशन का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 की स्थिति में 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 11 लाख 05 हजार बच्चों, 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 9 लाख 04 हजार बच्चों, लगभग 2 लाख 25 हजार गर्भवती महिलाओं तथा लगभग 2 लाख 17 हजार शिशुवती महिलाओं को लाभांवित किया जा रहा है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना :-

किशोरी बालिकाओं के लिए योजनांतर्गत प्रदेश के आकांक्षी जिलों के 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को भी पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 14 से 18 वर्ष की शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिका को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 150 ग्राम के मान से (सप्ताह में 06 दिवस हेतु) रेडी टू ईट दिया जा रहा है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी, महासमुंद एवं कोरबा में लागू है।

2. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति, हेतु योजना 01.01.2017 से संचालित तथा प्रथम जीवित संतान एवं द्वितीय बालिका संतान हेतु ही योजना का लाभ देय है। योजना अंतर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिये दो किस्तो में 5000/— रूपये राशि का भुगतान एवं द्वितीय बालिका संतान होने पर एकमुश्त 6000/— रूपये का प्रावधान है।

लक्षित लाभार्थी

ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्रता रखती हैं।

उपलब्धि :-

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1,75,466 हितग्राहियों को पंजीकृत करते हुए कुल राशि 25.75 करोड़ रूपये का भुगतान PFMS Portal के माध्यम से किया जा चुका है।

योजना अंतर्गत अब तक 8,70,421 हितग्राहियों को पंजीकृत करते हुए कुल राशि 362.58 करोड़ रूपये का भुगतान PFMS Portal के माध्यम से किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी				
क्र.	जिला	प्राप्त शिकायत	निराकृत शिकायते	लंबित शिकायत
1	बस्तर	1	1	0
2	बीजापुर	0	0	0
3	दन्तेवाड़ा	0	0	0
4	कांकेर	1	0	1
5	कोंडागांव	2	0	2
6	नारायणपुर	0	0	0
7	सुकमा	0	0	0
8	बिलासपुर	19	17	2
9	जांजगीर–चाम्पा	25	19	6
10	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	0	0	0
11	कोरबा	5	5	0
12	मुंगेली	13	13	0
13	रायगढ़	11	5	6
14	बालोद	4	2	2
15	बेमेतरा	2	2	0
16	दुर्ग	4	1	3
17	कवर्धा	1	0	1
18	राजनांदगांव	4	3	1
19	बलौदा बाजार–भाठापारा	14	14	0
20	धमतरी	10	10	0
21	गरियाबंद	6	6	0
22	महासमुंद	4	1	3
23	रायपुर	8	4	4
24	बलरामपुर	2	1	1
25	जशपुर	1	1	0
26	कोरिया	0	0	0
27	सरगुजा	2	2	0
28	सुरजपूर	5	5	0
29	सक्ती	7	3	4
30	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	5	1	4
31	सारंगढ़–बिलाईगढ	4	4	0
32	खैरागढ़–छुईखदान–गडंई	2	1	1
33	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	0	0	0
	कुल योग	**162**	**121**	**41**

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में आयोग की वेबसाइट में प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारी				
क्र.	जिला	प्राप्त शिकायत	निराकृत शिकायते	लंबित शिकायत
1	बस्तर	6	2	4
2	बीजापुर	0	0	0
3	दन्तेवाड़ा	0	0	0
4	कांकेर	10	4	6
5	कोंडागांव	0	0	0
6	नारायणपुर	1	0	1
7	सुकमा	0	0	0
8	बिलासपुर	59	53	6
9	जांजगीर–चाम्पा	62	39	23
10	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	11	7	4
11	कोरबा	31	25	6
12	मुंगेली	82	77	5
13	रायगढ़	40	26	14
14	बालोद	40	14	26
15	बेमेतरा	41	37	3
16	दुर्ग	75	59	16
17	कवर्धा	25	24	1
18	राजनांदगांव	14	14	0
19	बलौदा बाजार–भाठापारा	36	29	7
20	धमतरी	18	14	4
21	गरियाबंद	15	12	3
22	महासमुंद	52	29	23
23	रायपुर	71	37	34
24	बलरामपुर	22	12	10
25	जशपुर	11	6	5
26	कोरिया	5	2	3
27	सरगुजा	21	9	12
28	सुरजपूर	26	7	19
29	सक्ती	19	1	18
30	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	6	6	0
31	सारंगढ़–बिलाईगढ	23	23	0
32	खैरागढ़–छुईखदान–गडंई	7	1	6
33	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	4	4	0
	कुल	**833**	**573**	**260**

आयोग का बजट

वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग को प्राप्त योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

(दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में)

(राशि- रूपये में)

क्र.	योजना क्रमांक/नाम	प्रावधानित राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	#01- वेतन भत्ते, आदि 001 वेतन	975590	494400	50.68
2	003 महंगाई भत्ता	760000	191440	25.19
3	006 मकान किराया भत्ता	100000	0	0.00
4	008 नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	50000	900	1.80
5	014 अन्य भत्ते	200000	89056	44.53
6	015 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	0	0.00
7	016 मानदेय	1440000	1128833	78.39
8	#04- कार्यालय व्यय,001 डाक तार पर व्यय	20000	0	0.00
9	002 दूरभाष पर व्यय	100000	52189	52.19
10	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	100000	0	0.00
11	004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	20000	6282	31.41
12	007 लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	100000	87699	87.70
13	009 सूचना प्रौद्योगिकी	200000	53835	26.92
14	011 पेट्रोल	10000	0	0.00
15	#02- मजदूरी004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	200000	197950	98.98
16	005 अन्य आकस्मिक मजदूरी	1722450	1722193	99.99
17	#03- यात्रा भत्ता 001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	500000	44135	8.83
18	#04- कार्यालय व्यय,005– बिजली एवं जल प्रभार	150000	83556	55.70
19	006– वर्दियां	10000	9900	99.00
20	008– अन्य आकस्मिक व्यय	200000	129093	6.55
21	013– किराया, महसूल, कर	1200000	792000	66.00
	014– वाहन किराया भाड़ा	2201960	2139005	97.14
22	#10 –व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां विशेष सेवायें हेतु व्यय 009	1500000	20000	1.33
23	#24- अनुरक्षण कार्य001 मोटर गाड़ी	10000	0	0.00
24	#14-सहायक अनुदान 012	0	0	0.00
	योग	**11870000**	**7242466**	**61.01**

माननीय अध्यक्ष द्वारा 15 अगस्त, 2023 को राज्य खाद्य आयोग कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम

26 जनवरी, 2024 को राज्य खाद्य आयोग कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम

राज्य खाद्य आयोग कार्यालय

डी-2/9 एवं डी-2/10, सेक्टर 17, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़
दूरभाष: 0771-2972923, Email: khadyaayog@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद